[2020] 4 एस. सी. आर. 565

MANKASTU IMPEX प्राइवेट लिमिटेड

ए.

वी.

एयरविजुअल लिमिटेड

(2018 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 32)

बी.

05 मार्च, 2020

[आर. भानुमति, ए. एस. बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996। 9 , 11 - 566

भारत के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता

सी.

याचिकाकर्ता-कंपनी (भारत में निगमित) एयर प्यूरीफायर, एयर क्वालिटी मॉनिटर आदि की आपूर्ति के व्यवसाय में है-प्रतिवादी कंपनी (हांगकांग में निगमित) निर्माण, वायु गुणवत्ता मॉनिटर की बिक्री, वायु गुणवत्ता जानकारी के व्यवसाय में है पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया-प्रतिवादी याचिकाकर्ता को अपनी वायु गुणवत्ता मॉनिटर उत्पादों की पूरी डी लाइन बेचने के लिए सहमत हुआ ताकि आगे की बिक्री के लिए और
इसे भारत के भीतर बिक्री के लिए उत्पादों के लिए एक विशेष वितरक के रूप में नियुक्त किया गया-याचिकाकर्ता को एक आईक्यूएयर एजी के सी. ई. ओ. से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि आईक्यूएयर एजी ने प्रतिवादी की सभी प्रौद्योगिकी, संबद्ध संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है और यह कि वह किसी भी तरह का अधिग्रहण नहीं करेगा।

ई.

प्रत्यर्थी के अनुबंधों या कानूनी दायित्वों का-याचिकाकर्ता ने अंततः समझौता ज्ञापन के खंड 17 में मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए नोटिस जारी किया। एस. 9 में प्रत्यर्थी और आई. क्यू. एयर ए. जी. के खिलाफ यू/एस. द्वारा दायर समझौता ज्ञापन-लंबित-वर्तमान याचिका के नियमों और शर्तों का सम्मान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। 11 (6) खंड 17 के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग-आयोजितः खंड 17.1 के शब्दों से यह नहीं पता चलता है कि मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली में है।

समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि इससे उत्पन्न या उससे संबंधित विवाद को हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा-खंड 17.2 में शब्द कि "हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता" एक संकेत है कि मध्यस्थता का स्थान हांगकांग में है।

जी.

कांग-एक बार जब पक्षों ने हांगकांग में प्रशासित होने के लिए मध्यस्थता के स्थान के रूप में "हांगकांग" को चुना है, तो हांगकांग के कानून मध्यस्थता को नियंत्रित करेंगे-यदि मध्यस्थता समझौते को भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान पाया जाता है, तो भारतीय अदालतें निर्णय या पारित होने पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती हैं।

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अंतरिम आदेश, इस प्रकार वर्तमान मामले में पक्षों को अंतरिम राहत का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, खंड 17.3 कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे अंतरिम राहत की मांग कर सकते हैं जिसके लिए दिल्ली न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र होगा, जोड़ा गया प्रतीत होता है-चूंकि मध्यस्थता हांगकांग में बैठती है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका यू / धारा 11 (6) बनाए रखने योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता के लिए खुला है

बी.

के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क करें मध्यस्थ की नियुक्ति, यदि वे चाहें-मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम, 2015।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 2 (1) (च) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता-जिसके लिए पूरा किए जाने वाले कारक -

सी.

आयोजित किया गयाः तीन कारकों को पूरा किया जाना चाहिए-(i) मध्यस्थता; (ii) भारत में लागू कानूनों के तहत वाणिज्यिक माना जाता है; और (iii) कम से कम एक पक्ष भारत के अलावा किसी अन्य देश में राष्ट्रीय या आदतन निवासी है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस. 2 (2) & डी एसएस। 9 , 27 , 37 - आयोजित किया गयाः 2015 के संशोधन अधिनियम द्वारा एस में एक परंतुक जोड़ा गया है। 2 (2) जिसके अनुसार, अधिनियम के भाग-I के कुछ प्रावधान अर्थात एस. एस. 9 , 27 , 37 (1) (क) और 37 (3) को "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" पर लागू किया गया है, भले ही

मध्यस्थता भारत के बाहर है-मध्यस्थता और सुलह ई संशोधन अधिनियम, 2015।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अंतर्राष्ट्रीय

भारत के बाहर स्थित वाणिज्यिक मध्यस्थता-एस के लिए प्रावधान। 2 (2) , एस। 11 – एस की प्रयोज्यता। 11 – आयोजित किया गयाः एस. 11 एस. के परंतुक में शामिल नहीं है। 2 (2) और इस प्रकार, इसका भारत के बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर कोई अनुप्रयोग नहीं है-मध्यस्थता और सुलह

संशोधन अधिनियम, 2015। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहाः 1.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (च) के अनुसार, एक "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक" होने के लिए

जी मध्यस्थता ", तीन कारकों को पूरा किया जाना चाहिए-(i) मध्यस्थता; (ii) भारत में लागू कानूनों के तहत वाणिज्यिक माना जाता है; और

(iii) कम से कम एक पक्ष भारत के अलावा किसी अन्य देश में राष्ट्रीय या आदतन निवासी है। धारा 2 (2) के अनुसार, भाग-I वहां लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है। अगर

" अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता "भारत में स्थित है, तो अधिनियम का एक भाग-I लागू होगा। [अनुच्छेद 15,16] [574-सी-डी] 1. मध्यस्थता के स्थान का महत्व यह है कि यह मध्यस्थता कार्यवाही और मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ-साथ मध्यस्थता पुरस्कार पर न्यायिक समीक्षा का निर्णय करते समय लागू कानून को निर्धारित करता है। स्थिति केवल इस बारे में नहीं है कि कोई संस्थान कहाँ स्थित है या बी जहाँ सुनवाई आयोजित की जाएगी। लेकिन यह सब इस बारे में है कि किस अदालत के पास मध्यस्थता पर पर्यवेक्षी शक्ति होगी।

कार्यवाही "। मध्यस्थता का स्थान "और" मध्यस्थता का स्थान "का उपयोग अंतर-परिवर्तनशील रूप से नहीं किया जा सकता है। केवल अभिव्यक्ति "मध्यस्थता का स्थान" के इरादे को निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकता है

सी.

पक्षकार जिनका उद्देश्य उस स्थान को मध्यस्थता का "स्थान" बनाना है। "सीट" के बारे में पक्षों का इरादा समझौते के अन्य खंडों और पक्षों के आचरण से निर्धारित किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के एक सादे पठन पर

समझौता, यह स्पष्ट है कि "मध्यस्थता के स्थान" के रूप में हांगकांग का संदर्भ डी मध्यस्थता कार्यवाही के लिए "स्थान" के रूप में एक सरल संदर्भ नहीं है; लेकिन हांगकांग का संदर्भ हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा अंतिम समाधान के लिए है। समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 में कहा गया है कि समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या उससे संबंधित विवाद जिसमें उसका अस्तित्व, वैधता, व्याख्या, उल्लंघन या समाप्ति या उससे उत्पन्न या उससे संबंधित कोई विवाद शामिल है।

ई.

इसे संदर्भित किया जाएगा और अंत में हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा। खंड 17.2 के शब्द कि "हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता" एक संकेत है कि मध्यस्थता का स्थान हांगकांग में है। एक बार जब पक्षों ने मध्यस्थता के स्थान के रूप में "हांगकांग" को चुना है

हांगकांग, हांगकांग के कानून मध्यस्थता को नियंत्रित करेंगे।

एफ.

भारतीय न्यायालयों के पास मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि मध्यस्थता समझौते में भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान पाया जाता है, तो भारतीय न्यायालय निर्णय पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए पक्षों के लिए यह आवश्यक होता कि

जी.

खंड 17.3 को शामिल करें कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि कोई पक्षकार अंतरिम राहत की मांग कर सकता है जिसके लिए दिल्ली न्यायालयों को करना होगा। अधिकार क्षेत्र। संशोधन अधिनियम, 2015 (डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015) द्वारा अधिनियम की धारा 2 (2) में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अधिनियम के भाग-1 के कुछ प्रावधान यानी धारा 9- अंतरिम

एक राहत, साक्ष्य के लिए 27 अदालत की सहायता, 37 (1) (ए)-आदेशों के खिलाफ अपील और धारा 37 (3) को लागू किया गया है।

"अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" के लिए भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो। धारा 11 परंतुक में शामिल नहीं है और तदनुसार यह भारत के बाहर स्थित "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" पर लागू नहीं होती है। [पारस 19-23,

बी.

25] [575 - एफ-जी; 576-ए, डी-जी; 578-एच; 579-ए-बी]

1.3 खंड 17.1 के शब्दों से यह संकेत नहीं मिलता है कि मध्यस्थता का केंद्र नई दिल्ली में है। चूंकि भाग-I "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" पर लागू नहीं होता है, इसलिए पक्षों को अंतरिम राहत का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, खंड 17.3 में ऐसा प्रतीत होता है -

सी.

जोड़ा गया। खंड 17.1 में "नई दिल्ली में कानूनों के प्रावधानों और अदालतों के टकराव को ध्यान में रखे बिना अधिकार क्षेत्र होगा" शब्दों को खंड 17.3 के साथ पढ़ा जाना है। चूँकि मध्यस्थता हांगकांग में बैठती है, इसलिए द्वारा दायर याचिका

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिकाकर्ता विचारणीय नहीं है। [पैरा डी 26] [579-एफ-एच]

भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम। कैसर एल्यूमीनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक. (बाल्को) (2012) 9 एससीसी 552: [2012] 12 एस. सी. आर. 327-अनुसरण किया गया।

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम। एनरकॉन जी. एम. बी. एच.

ई.

और दूसरा (2014) 5 एस. सी. सी. 1: [2014] 2 एस. सी. आर. 855; एट्ज़ेन बल्क ए/एस वी। आशापुरा माइनकेम लिमिटेड और दूसरा (2016) 11 एस. सी. सी. 508 [2016] 2 एस. सी. आर. 634; इंडस मोबाइल

वितरण (पी) लिमिटेड v. डेटाविंड इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड और अन्य (2017) 7 एससीसी 678: [2017] 4 एस. सी. आर. 744 पर भरोसा किया।

एफ.

भारत संघ बनाम। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आई. एन. सी. (2018) 7 एस. सी. सी. 374 [2018] 5 एस. सी. आर. 662; बी. जी. एस. एस. जी. एस. सोमा जे. वी. बनाम। एनएचपीसी लिमिटेड 2019 (17) स्केल 369; चंद्र प्रकाश और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा (2002) 4 एस. सी. सी. 234 [2002] 2 एस. सी. आर. 913 -

जी.

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 5 एससीआर 662

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

2019 (17) स्केल 369

पैरा 11

पीछा किया।

पैरा 12

ए.

[2002] 2 एससीआर 913

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2014] 2 एससीआर 855

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2016] 2 एससीआर 634

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

बी.

[2017] 4 एससीआर 744

पैरा 24

उस पर भरोसा करें

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2018 की मध्यस्थता याचिका (सिविल) संख्या 32।

2015 मुख्य न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के साथ पढ़ा गया भारत योजना, 1996 दिनांक 12.09.2016 के समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करती है।

रितिन राय, Sr.Adv। , विकास दत्ता, उज्जवल नागाइच, सिद्धार्थ सिलवाल, ओ. पी. भदानी, सुश्री कृतिका भारद्वाज, सिद्धार्थ झा, सुश्री गुंजन माथुर,

...

अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए। न्यायालय का निर्णय आर. भानुमति, जे. 1. यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर की गई है, जिसे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के साथ पढ़ा गया है, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के साथ पढ़ा गया है, जिसमें याचिकाकर्ता-भारत में निगमित कंपनी और हांगकांग के कानूनों के तहत निगमित प्रतिवादी के बीच दिनांकित समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है।

एफ.

2. इस याचिका के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

याचिकाकर्ता-भारत में निगमित कंपनी व्यवसाय करती है।

"अटलांटा हेल्थकेयर" ब्रांड नाम के तहत और वायु गुणवत्ता प्रबंधन और वायु शोधक, कार शोधक, प्रदूषण रोधी जी मास्क और वायु गुणवत्ता मॉनिटर की आपूर्ति के व्यवसाय में है। प्रतिवादी हांगकांग के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है और वायु गुणवत्ता मॉनिटर के साथ-साथ वायु गुणवत्ता की जानकारी के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है। ए. 12.09.2016 दिनांकित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पक्षों के बीच किया गया था जिसके तहत प्रतिवादी एच 570 को बेचने के लिए सहमत हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिकाकर्ता उत्तरदाता की वायु गुणवत्ता की पूरी श्रृंखला आगे की बिक्री के लिए उत्पादों की निगरानी करती है। समझौते की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता को भारत के भीतर बिक्री के लिए उत्पादों के लिए एक विशेष वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में बिक्री के लिए याचिकाकर्ता को गैर-अनन्य अधिकार दिए गए थे। यह समझौता पांच साल की अवधि के लिए जारी रहना था

प्रारंभ तिथि, भारत में वायु गुणवत्ता मॉनिटरों की पहली खेप की डिलीवरी की तारीख से कौन सी तारीख शुरू होनी थी, यानी 03.10.2016 या 01.11.2016, जो भी बाद में हो। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसने लगभग रु। 17,00,000 / - भारत में उत्पादों के लिए एक ब्रांड मूल्य का प्रचार और निर्माण करना। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने रुपये खर्च किए। 9,00,000 / - भारत-जर्मन प्राकृतिक स्वास्थ्य मेला, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आदि जैसे पंद्रह से अधिक व्यावसायिक कार्यक्रमों में सी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में। 3. 14.10.2017 पर, याचिकाकर्ता को IQAir AG (प्रस्तावित प्रतिवादी संख्या 2) के श्री चार्ल कैटर से एक ई-मेल प्राप्त हुआ जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि प्रतिवादी IQAir AG का हिस्सा है। डी ई-मेल के साथ आईक्यूएयर एजी के सी. ई. ओ. द्वारा दिनांकित एक पत्र संलग्न किया गया था जिसमें कहा गया था कि आईक्यूएयर एजी ने प्रतिवादी की सभी प्रौद्योगिकी और संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है। इसके अलावा, एयरविजुअल नोड के उत्पाद को बंद कर दिया गया है और आईक्यूएयर एजी एक नए और बेहतर संस्करण को फिर से लॉन्च करने की प्रक्रिया में है जिसे आईक्यूएयर एयरविजुअल प्रो के रूप में रीब्रांड किया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि आईक्यूएयर एजी कोई अनुबंध नहीं लेगा या

ई.

प्रत्यर्थी के कानूनी दायित्व और नए अनुबंधों पर बातचीत करने के लिए पुनर्विक्रेताओं के साथ मामले के आधार पर काम करेंगे और यह कि आईक्यूएयर एयरविजुअल उत्पादों को अलग-अलग विक्रेता समझौतों के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। 4. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के साथ समझौता ज्ञापन की शर्तों का आह्वान करते हुए दिनांक 15.10.2017 पर जवाब भेजा, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता अनन्य है।

एफ.

भारत के क्षेत्र के भीतर पांच वर्षों के लिए एयरविजुअल उत्पादों की बिक्री के अधिकार। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कहा कि समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, इकाई के किसी भी अधिग्रहण/खरीद या शेयरधारिता में परिवर्तन की स्थिति में, प्रतिवादी की ओर से यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि व्यवसाय/परिसंपत्तियों को संभालने वाला पक्ष उसी जी नियमों और शर्तों पर अनुबंध का सम्मान करेगा और यह एक माना जाने वाला अनुमान है कि प्रतिवादी के व्यवसाय/परिसंपत्तियों का अधिग्रहण मौजूदा देनदारियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

5. 31.10.2017 पर, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी और IQAir AG को एक ई-मेल भेजा जिसमें प्रोफॉर्मा चालान की मांग की गई ताकि वह खरीद आदेश जारी कर सके। जवाब में, आईक्यूएयर एजी ने दोहराया कि उनके पास नहीं है

प्रत्यर्थी के किसी भी कानूनी दायित्वों को ग्रहण किया। हालांकि, उन्होंने एक नए प्रावधान के तहत याचिकाकर्ता को आईक्यूएयर ब्रांडेड एयरविजुअल प्रो की आपूर्ति करने के लिए ए की पेशकश की।

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच सहमत 110 अमेरिकी डॉलर प्रति इकाई की मूल कीमत के मुकाबले 172 अमेरिकी डॉलर प्रति इकाई के नए थोक मूल्य के साथ गैर-विशिष्ट व्यवस्था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कई ई-मेल भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 08.12.2017 पर, याचिकाकर्ता बी ने एमओयू के खंड 17 में प्रदान किए गए मध्यस्थता खंड को लागू करते हुए एक नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी और आईक्यूएयर एजी की सहमति के अधीन मध्यस्थ के रूप में माननीय न्यायमूर्ति आर. सी. चोपड़ा के नाम का भी प्रस्ताव रखा।
6. याचिकाकर्ता ने 11.12.2017 पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता सी और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें प्रतिवादी और IQAir AG के खिलाफ दिनांकित 12.09.2016 के समझौता ज्ञापन के नियमों और शर्तों का सम्मान करने और याचिकाकर्ता को समझौता ज्ञापन के संदर्भ में सभी उत्पादों की बिक्री के लिए अधिकृत वितरक के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति देने और प्रतिवादी और IQAir AG को आदेश देने की मांग की गई।

समझौता ज्ञापन को समाप्त करना और उन उत्पादों के लिए तीसरे पक्ष डी के साथ कोई भी अनुबंध करना जो समझौता ज्ञापन का विषय हैं। मध्यावधि के दौरान

28.02.2018 दिनांकित आदेश में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को भारत में अपने किसी भी उत्पाद को बेचने से रोक दिया। याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर याचिका अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
7. याचिकाकर्ता के दिनांक 08.12.2017 के नोटिस के जवाब में, मध्यस्थता खंड E को लागू करते हुए, IQAir ने प्रतिवादी के साथ अपने संपत्ति खरीद समझौते के तहत अपने दिनांकित 15.12.2017 के पत्र के माध्यम से, किसी भी संविदात्मक और कानूनी दायित्वों को नहीं माना है और यह कि समझौता ज्ञापन की शर्तें IQAir AG के खिलाफ लागू करने योग्य नहीं थीं। प्रत्यर्थी ने दिनांकित 08.12.2017 नोटिस पर अपना दिनांकित 05.01.2018 का जवाब भी भेजा जिसमें कहा गया है कि समझौता ज्ञापन का खंड 17 हांगकांग में प्रशासित और बैठे मध्यस्थता का प्रावधान करता है। प्रत्यर्थी ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मध्यस्थता द्वारा विवाद का समाधान करना चाहता है, तो उन्हें विवाद को हांगकांग में एक मध्यस्थता संस्थान को भेजना चाहिए। इसके अलावा, यह कहा गया था कि प्रतिवादी तदर्थ मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रशासित करने के लिए सहमत था

हांगकांग में मध्यस्थता। इसी पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत जी याचिका दायर की थी, जिसमें समझौता ज्ञापन के खंड 17 के तहत एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी।
8. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच प्रस्तावित मध्यस्थता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी और प्रतिवादी के बीच एक मध्यस्थता है-एच 572

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक निकाय निगमित जो हांगकांग के कानूनों के तहत निगमित है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2 (1) (च) के अनुसार एक "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" है जिसका दिल्ली में मध्यस्थता का स्थान है।

धारा 11 (9) के साथ पठित धारा 11 (6) के संदर्भ में, याचिकाकर्ता इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति चाहता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री विकास दत्ता ने प्रस्तुत किया

बी.

समझौता ज्ञापन के खंड 17.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों द्वारा शासित है और नई दिल्ली की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र है। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने केवल मध्यस्थता के "स्थान" के रूप में हांगकांग पर सहमति व्यक्त की है और हांगकांग मध्यस्थता का न्यायिक स्थान नहीं है। भारत संघ बनाम के मामले में निर्णय के बारे में। हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) आई. एन. सी. (2018) 7 एस. सी. सी. 374, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि निर्णय का अनुपात स्पष्ट रूप से यह मानता है कि एक "स्थान" केवल तभी "सीट" बन सकता है जब-(i) कोई अन्य शर्त नहीं है; (ii) यदि "स्थान" शब्द के साथ एक शर्त पूर्ववर्ती जुड़ी हुई है, तो उक्त शर्त/संकेत में "स्थान" के लिए "स्कैट" के बराबर होने के लिए पहले डी को संतुष्ट किया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया था कि स्पष्ट खंड 17.1 को देखते हुए जहां पक्षों ने स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की है

यह कि समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों द्वारा शासित होना चाहिए और नई दिल्ली की अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र होगा, अधिनियम का भाग-I लागू होता है और इसलिए, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जाता है।

10. श्री रितिन राय, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने

ई.

प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच किए गए समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 के अनुसार, मध्यस्थता का स्थान हांगकांग होगा। चूंकि मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर है, इसलिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11 वर्तमान विवाद पर लागू नहीं होती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि खंड 17.2 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति जो "मध्यस्थता का एफ स्थान हांगकांग होगा" प्रदान करती है, यह भी प्रदान करने के अलावा कि "समझौता ज्ञापन से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को संदर्भित किया जाएगा और अंत में हांगकांग में हल किया जाएगा और प्रशासित किया जाएगा" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि पक्षों के बीच मध्यस्थता हांगकांग में होगी और इसलिए, भाग-I लागू नहीं है और धारा 11 का वर्तमान विवाद पर कोई जी अनुप्रयोग नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क करने की आवश्यकता है और भारतीय न्यायालयों के पास मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

11. प्रत्यर्थी की ओर से, बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी वी पर बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी। एनएचपीसी लिमिटेड 2019 (17) स्केल 369 प्रतिस्पर्धा करेगा

कि "मध्यस्थता कार्यवाही" पद से यह स्पष्ट हो जाएगा कि "स्थान" वास्तव में "मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान" है क्योंकि उपरोक्त पद में केवल एक या अधिक एकल या आंशिक सुनवाई शामिल नहीं है, बल्कि उस स्थान पर निर्णय देने सहित समग्र रूप से मध्यस्थता कार्यवाही शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में, शब्द " पक्ष बी के बीच समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 में उपयोग किया गया "प्रशासित" स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि पक्षों के बीच मध्यस्थता हांगकांग में होगी।

12. बी. जी. एस. सोमा में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति थी ". मध्यस्थता कार्यवाही नई दिल्ली/फरीदाबाद में आयोजित की जाएगी"। बी. जी. एस. सोमा के मामले में, उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि पक्षों की तीनों अपीलों में कार्यवाही नई दिल्ली में हुई थी और सी पुरस्कारों पर भी नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे न कि फरीदाबाद में। विद्वत पीठ ने कहा कि पक्षों द्वारा व्यक्त की गई विपरीत अभिव्यक्ति के अभाव में, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पक्षों ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत नई दिल्ली को मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुना है। बी. जी. एस. सोमा के मामले में, पीठ ने कहा कि हार्डी एक्सप्लोरेशन में निर्णय भारत एल्यूमीनियम कंपनी बनाम भारत एल्यू कैसर एल्यूमीनियम तकनीकी

सर्विसेज इंक. (2012) 9 एस. सी. सी. 552 (बाल्को) और इसलिए, इसे अच्छा कानून नहीं माना जा सकता है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि हार्डी ई एक्सप्लोरेशन और बीजीएस सोमा, दोनों तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा होने के नाते, बाद की पीठ द्वारा घोषणा की गई कि हार्डी एक्सप्लोरेशन एक भगवान का कानून नहीं है, हार्डी एक्सप्लोरेशन के ओवरराइड के समान नहीं हो सकता है। यह था।

प्रस्तुत किया कि जब दोनों निर्णय समान संख्या वाली पीठ द्वारा दिए गए थे, तो यह बेंच के लिए खुला नहीं था कि बी. जी. एस. सोमा में यह निर्णय दिया जाए कि हार्डी एक्सप्लोरेशन में निर्णय गलत था और बी. जी. एस. सोमा में विद्वत बेंच को मामले को बड़ी बेंच को भेजना चाहिए था। तर्क को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने चंद्र प्रकाश और अन्य बनाम का उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 234 जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक प्रणाली जी के प्रशासन में बाध्यकारी पूर्ववर्ती का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायिक निर्णयों में निश्चितता और निरंतरता को बढ़ावा देता है। तथापि, वर्तमान मामले में समझौता ज्ञापन

के खंड 17 और उसमें निश्चित खंडों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम बी. जी. एस. सोमा की शुद्धता या अन्यथा के प्रश्न में जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

ए.

14. वर्तमान मामले में विचार के लिए प्रश्न है,

समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 के दृष्टिकोण से क्या पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्यस्थता का स्थान हांगकांग में है और क्या इस न्यायालय के पास मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत दायर वर्तमान याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

15. याचिकाकर्ता भारत में निगमित एक कंपनी है; जबकि

बी.

प्रतिवादी हांगकांग के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है।

अधिनियम की धारा 2 (1) (च) "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" को परिभाषित करती है। धारा 2 (1) (च) के अनुसार, एक "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" होने के लिए, तीन कारकों को पूरा किया जाना चाहिए-(i) मध्यस्थता; (ii) के रूप में माना जाता हैः

भारत में लागू कानूनों के तहत वाणिज्यिक; और (iii) कम से कम एक

सी.

दल भारत के अलावा किसी अन्य देश में राष्ट्रीय या आदतन निवासी हैं। वर्तमान मामले में, चूंकि प्रतिवादी हांगकांग के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है, इसलिए हम "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" से संबंधित हैं।

16. धारा 2 (2) के अनुसार, भाग-I लागू होगा जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में है। यदि "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" भारत में स्थित है, तो अधिनियम का भाग-1 लागू होगा। अधिनियम की धारा 2 (2) की व्याख्या पर बाल्को की संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम के भाग-1 का भारत के बाहर आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। ई निर्णय के पैरा (194) में, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 194 ..... धारा 2 (2) एक घोषणा करती है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 का भाग I भारत के भीतर होने वाले सभी मध्यस्थताओं पर लागू होगा। हमारी यह सुविचारित राय है कि मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग 1 का भारत के बाहर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। इसलिए, ऐसे पुरस्कार

एफ.

भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन केवल तभी होगा जब उन्हें मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग II में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत में लागू करने की मांग की जाती है। 99

17. वर्तमान मामले में समझौता ज्ञापन का खंड 17 एक प्रासंगिक खंड है।

जी.

कानून और विवाद समाधान को नियंत्रित करना। खंड 17 निम्नानुसार हैः

17. शासी कानून और विवाद समाधान

17.1 यह समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों द्वारा शासित है, इसके कानूनों के प्रावधानों के टकराव को ध्यान में रखे बिना और नई दिल्ली में अदालतों के पास अधिकार क्षेत्र होगा।

17.2 ए से उत्पन्न होने वाला या इस समझौता ज्ञापन से संबंधित कोई भी विवाद, विवाद, मतभेद या दावा, जिसमें अस्तित्व, वैधता,

व्याख्या, निष्पादन, उल्लंघन या समाप्ति या इससे उत्पन्न या उससे संबंधित गैर-संविदात्मक दायित्वों के संबंध में किसी भी विवाद को हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा।

बी.

मध्यस्थता का स्थान हांगकांग होगा।

मध्यस्थों की संख्या एक होगी। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

17.3 यह सहमति है कि कोई पक्ष किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित होने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद, अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय से अस्थायी, निषेधाज्ञा या न्यायसंगत उपचार की मांग कर सकता है, जिसमें प्रारंभिक निषेधाज्ञा राहत भी शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि समझौता ज्ञापन के खंड 17.1 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि अनुबंध का उचित कानून भारत का कानून है और समझौता ज्ञापन स्पष्ट रूप से उचित कानून और मध्यस्थता के क्यूरियल कानून पर चुप है और इसलिए, खंड 17.1 उचित कानून और क्यूरियल कानून को नियंत्रित करेगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, खंड 17 में या भारत के कानूनों की गैर-प्रयोज्यता और/या हांगकांग या किसी अन्य देश के ई कानूनों की प्रयोज्यता के पूरे समझौता ज्ञापन के तहत कोई स्पष्ट या निहित बहिष्करण नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि मध्यस्थता के उचित कानून और सुधारात्मक कानून के रूप में स्पष्ट शर्त के अभाव में, भारत के कानूनों को समझौता ज्ञापन के तहत उचित कानून और सुधारात्मक कानून के रूप में लिया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में समझौता ज्ञापन के खंड 17.1 की शर्तों को कम या कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

एफ.

19. मध्यस्थता का स्थान किसी भी मध्यस्थता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

कार्यवाही। मध्यस्थता के स्थान का महत्व यह है कि यह मध्यस्थता कार्यवाही का निर्णय लेते समय लागू कानून को निर्धारित करता है और मध्यस्थता प्रक्रिया के साथ-साथ मध्यस्थता पुरस्कार पर न्यायिक समीक्षा। स्थिति केवल इस बारे में नहीं है कि कोई संस्थान कहाँ स्थित है या सुनवाई कहाँ की जाएगी। लेकिन यह सब इस बारे में है कि किस अदालत के पास मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी शक्ति होगी। एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य बनाम। एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और एक अन्य (2014) 5 एस. सी. सी. 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "सीट का स्थान उन अदालतों को निर्धारित करेगा जिनके पास अदालतों की देखरेख करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

जी.

मध्यस्थता कार्यवाही। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सीट आम तौर पर अपने साथ उस देश के मध्यस्थता/क्यूरिअल कानून का विकल्प रखती है।

20. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "मध्यस्थता का स्थान" और "का स्थान"

ए.

मध्यस्थता का उपयोग अंतर-परिवर्तनशील रूप से नहीं किया जा सकता है। यह भी स्थापित किया गया है कि केवल अभिव्यक्ति "मध्यस्थता का स्थान" आधार नहीं हो सकता है

पक्षकारों के इरादे का निर्धारण करें कि उन्होंने उस स्थान को मध्यस्थता के "स्थान" के रूप में अभिप्रेत किया है। "सीट" के बारे में पक्षों का इरादा समझौते और आचरण के अन्य खंडों से निर्धारित किया जाना चाहिए।

बी.

दलों से। 21. वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच किया गया मध्यस्थता समझौता हांगकांग को मध्यस्थता के स्थान के रूप में प्रदान करता है। मध्यस्थता के स्थान के रूप में "हांगकांग" को चुनने वाले पक्षों के बीच समझौता इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि पक्षों के पास है

सी.

मध्यस्थता के स्थान के रूप में हांगकांग को चुना गया। "मध्यस्थता का स्थान" शब्द "हांगकांग" होगा, जिसे खंड 17.2 के साथ पढ़ना होगा। खंड 17.2 में प्रावधान है कि ". समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद, विवाद, मतभेद" को संदर्भित किया जाएगा और

अंततः हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा हल किया गया। " उस पर

डी मध्यस्थता समझौते का एक सादा अध्ययन, यह स्पष्ट है कि हांगकांग को "मध्यस्थता के स्थान" के रूप में संदर्भित करना मध्यस्थता कार्यवाही के लिए "स्थान" के रूप में एक सरल संदर्भ नहीं है; लेकिन हांगकांग का एक संदर्भ हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा अंतिम समाधान के लिए है। पक्षों के बीच समझौता कि विवाद को "हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा"

ई स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि मध्यस्थता हांगकांग में होगी और हांगकांग के कानून मध्यस्थता कार्यवाही को नियंत्रित करेंगे और साथ ही मध्यस्थता पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी होगी। पुरस्कार। 22. जैसा कि पहले बताया गया है, समझौता ज्ञापन के खंड 17.2 में कहा गया है कि एफ समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या उससे संबंधित विवाद जिसमें उसका अस्तित्व, वैधता, व्याख्या, उल्लंघन या समाप्ति शामिल है या इससे उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद को हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता द्वारा संदर्भित किया जाएगा और अंत में हल किया जाएगा। खंड 17.2 के शब्द कि "हांगकांग में प्रशासित मध्यस्थता" एक संकेत

है कि जी मध्यस्थता का स्थान हांगकांग में है। एक बार जब पक्षों ने "हांगकांग" को हांगकांग में प्रशासित होने के लिए मध्यस्थता के स्थान के रूप में चुना है, तो हांगकांग के कानून मध्यस्थता को नियंत्रित करेंगे। भारतीय न्यायालयों के पास मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

23. यह देखते हुए कि जब दलों ने एक स्थान चुना है

किसी विशेष देश में मध्यस्थता, वह विकल्प अपने साथ प्रस्तुत करता है

उस देश के कानून, एट्ज़ेन बल्क ए/एस वी में। आशापुरा माइनकेम ए लिमिटेड और एक अन्य (2016) 11 एस. सी. सी. 508, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

यह मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है, क्योंकि विशेष बी देश का कानून इप्सो ज्यूर लागू होगा। से निम्नलिखित अंश रेडफर्न एंड हंटर ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में इस मुद्दे का निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया गया हैः

" कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि पक्षों ने किसी विशेष देश में मध्यस्थता के लिए सी प्रदान करके प्रक्रियात्मक कानून का चयन किया है जो उनके मध्यस्थता को नियंत्रित करेगा। यह बहुत अधिक अण्डाकार है और जैसा कि एक अंग्रेजी अदालत ने हाल ही में ब्रेज़ ऑफ़ डोने विंड फ़ार्म में आयोजित किया था, यह हमेशा सच नहीं होता है। पक्षों ने जो किया है वह किसी विशेष देश में मध्यस्थता का स्थान चुनना है। यह विकल्प अपने साथ उस देश के कानूनों के प्रति समर्पण लाता है, जिसमें मध्यस्थता पर उसके कानून के कोई भी अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं। डी. यह कहना कि पक्षकारों ने मध्यस्थता को नियंत्रित करने के लिए उस विशेष कानून को "चुना" है, यह कहने के समान है कि एक अंग्रेजी महिला जो अपनी कार को फ्रांस ले जाती है, उसने फ्रांसीसी यातायात कानून को "चुना" है, जो उसे सड़क के दाहिने हाथ की ओर गाड़ी चलाने के लिए बाध्य करेगा, ई. से आने वाले वाहनों को प्राथमिकता देगा, और आम तौर पर उन यातायात कानूनों का पालन करेगा जिनके वह आदी नहीं हो सकती है। लेकिन यह कहना भाषा का एक अजीब उपयोग होगा कि इस काल्पनिक मोटर चालक ने "फ्रांसीसी यातायात कानून" का विकल्प चुना था। उसने जो किया है वह फ्रांस जाने का चुनाव करना है। फ्रांसीसी कानून की प्रयोज्यता तब स्वचालित रूप से होती है। यह कोई बात नहीं है

एफ.

चयन करें।

पार्टियां मध्यस्थता के लिए एक विशेष स्थान का चयन कर सकती हैं क्योंकि इसका लेक्स आर्बिट्री एक ऐसा स्थान है जो उन्हें आकर्षक लगता है। फिर भी, एक बार मध्यस्थता का स्थान चुने जाने के बाद, यह अपने साथ अपना कानून लाता है। यदि उस कानून में ऐसे प्रावधान हैं जो जहां तक मध्यस्थता का संबंध है, तो उन प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यह पसंद की बात नहीं है कि कल्पनाशील मोटर चालक यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि किस स्थानीय यातायात कानून का पालन करना है और किसकी अवहेलना करनी है। " " [रेखांकित करना जोड़ा गया]

24. घरेलू मध्यस्थता के संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि एक बार

ए.

" सीट "निर्धारित की जाती है, केवल उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा, इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन (पी) लिमिटेड में। डेटाविंड इनोवेशन्स (पी) लिमिटेड और अन्य (2017) 7 एस. सी. सी. 678, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 19. उपरोक्त सभी प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि

बी.

जिस क्षण सीट नामित की जाती है, यह एक अनन्य अधिकार क्षेत्र खंड के समान होता है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता का केंद्र मुंबई है और खंड 19 आगे यह स्पष्ट करता है कि

अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से मुंबई की अदालतों में निहित है। मध्यस्थता के कानून के तहत, सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत जो

सी.

अदालतों में दायर मुकदमों पर लागू होता है, "सीट" का संदर्भ एक अवधारणा है जिसके द्वारा मध्यस्थता खंड के पक्षकारों द्वारा एक तटस्थ स्थान का चयन किया जा सकता है। शास्त्रीय अर्थों में तटस्थ स्थल का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है-अर्थात, कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा तटस्थ स्थान पर उत्पन्न नहीं हुआ होगा और न ही सी. पी. सी. की धारा 16 से 21 के डी प्रावधानों में से किसी को भी आकर्षित किया जाएगा। हालाँकि, मध्यस्थता कानून में, जैसा कि ऊपर माना गया है, जिस क्षण "सीट" निर्धारित की जाती है, यह तथ्य कि सीट मुंबई में है, मुंबई की अदालतों को पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न मध्यस्थता कार्यवाही को विनियमित करने के उद्देश्यों के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र के साथ निहित करेगा। [रेखांकित करना जोड़ा गया]

ई.

25. समझौता ज्ञापन के खंड 17.1 में कहा गया है कि समझौता ज्ञापन भारत के कानूनों द्वारा शासित होता है और नई दिल्ली की अदालतों का अधिकार क्षेत्र होगा। खंड 17.1 की व्याख्या से पता चलता है कि मूल अनुबंध को नियंत्रित करने वाली मूल कानून भारत की कानून हैं। खंड 17.1 के शब्द "कानून के प्रावधानों और न्यायालयों के टकराव को ध्यान में रखे बिना

एफ नई दिल्ली के पास अधिकार क्षेत्र होगा जिसे समझौते के खंड 17.3 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। खंड 17.3 के अनुसार, पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि पक्षकार उस न्यायालय से अनंतिम, निषेधात्मक या न्यायसंगत उपचार की मांग कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में संविधान के पहले, उसके दौरान या उसके बाद मामला हो। किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की लंबितता। बाल्को (2012) 9 जी एस. सी. सी. 552 के पैरा (161) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "66. एक तार्किक और योजनाबद्ध आधार पर।

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के निर्माण में, भारतीय न्यायालयों के पास अंतरिम उपाय करने की शक्ति नहीं है जब मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर हो। यदि मध्यस्थता समझौते में भारत के बाहर मध्यस्थता का स्थान पाया जाता है, तो भारतीय न्यायालय इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

पुरस्कार पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र या अंतरिम आदेश पारित करें। यह होगा।

इसलिए पक्षकारों के लिए खंड ए 17.3 को शामिल करना आवश्यक हो गया है कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कोई पक्ष अंतरिम राहत की मांग कर सकता है जिसके लिए दिल्ली न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा। इस संबंध में, हम उपयोगी रूप से संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 2 (2) में परंतुक को शामिल करने का उल्लेख कर सकते हैं। संशोधन अधिनियम, 2015 (डब्ल्यू. ई. एफ. 23.10.2015) द्वारा, अधिनियम की धारा 2 (2) में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसके अनुसार, अधिनियम के भाग-1 के कुछ प्रावधान यानी धारा 9-अंतरिम राहत, साक्ष्य के लिए 27 अदालत की सहायता, 37 (1) (ए)-आदेशों के खिलाफ अपील और धारा 37 (3) को "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" पर लागू किया गया है, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत से बाहर हो। अधिनियम की धारा 2 (2) का प्रावधान इस प्रकार हैः

बी.

सी.

" 2. परिभाषाएँ।

(2) यह भाग वहाँ लागू होगा जहाँ मध्यस्थता का स्थान भारत में हैः बशर्ते कि इसके विपरीत एक समझौते के अधीन रहते हुए, धारा 9,27 और उप-धारा (1) के खंड (ए) और धारा 37 की उप-धारा (3) के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर भी लागू होंगे, भले ही मध्यस्थता का स्थान भारत के बाहर हो, और ऐसे स्थान पर किया गया या किया जाने वाला मध्यस्थता पुरस्कार इस अधिनियम के भाग II के प्रावधानों के तहत प्रवर्तनीय और मान्यता प्राप्त है।

यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 11 परंतुक ई में शामिल नहीं है और तदनुसार, धारा 11 "अंतर्राष्ट्रीय" पर लागू नहीं होती है।

वाणिज्यिक मध्यस्थता "भारत के बाहर स्थित है। 26. खंड 17.1 के शब्द "नई दिल्ली में कानूनों के प्रावधानों और अदालतों के टकराव को ध्यान में रखे बिना अधिकार क्षेत्र में होंगे" खंड 17.2 में पक्षों के इरादे को दूर या कमजोर नहीं करते हैं कि मध्यस्थता हांगकांग में प्रशासित की जाए। खंड 17.1 के शब्दों से यह संकेत नहीं मिलता है कि मध्यस्थता का केंद्र नई दिल्ली में है। चूंकि भाग-I "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" पर लागू नहीं होता है, इसलिए पक्षों को अंतरिम राहत का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, खंड 17.3 जोड़ा गया प्रतीत होता है। "कानूनों के टकराव की परवाह किए बिना" शब्द

जी.

नई दिल्ली के प्रावधानों और न्यायालयों के पास खंड 17.1 में वह अधिकार क्षेत्र होगा जिसे खंड 17.3 के साथ पढ़ा जाना है। चूंकि मध्यस्थता हांगकांग में बैठती है, इसलिए अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है।

ए.

27. परिणाम में, 2018 की मध्यस्थता याचिका No.32

अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि यदि वे चाहें तो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे